[श्री दलबीर सिंह]

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

मध्यप्रदेश के शहडोल जिला में ओरियन्ट पेपर मिल्स अमलाई से बहाए गये विषाक्त पानी के कारण सोन नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। इसमें क्षारीय पदार्थ फैंका जाता है जैसे कास्टिक सोडा, कार्बन डायसल्फाईड, सोडियम सल्फेट आदि पदार्थ होते हैं।

13.19 hrs.

[SHRI F. H. MOHSIN *in the Chair*]

विषाक्त पानी नदी में छोड़ा जाता है जिसमें कास्टिक लाइम स्लज आदि भी होते हैं इससे आसपास के रहने वाले लोगों को पीने व सार्वजनिक उपयोग के लिये बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इतना ही नहीं बल्कि इस पानी को पीने से हजारों मवेशी मर चुके हैं व साथ ही विभिन्न प्रकार की गसें तैयार होकर वायु-मंडल को दूषित करती हैं जिससे आसपास रह रहे लोगों के स्वास्थ्य में दिनोंदिन बुरा असर पड़ रहा है। इससे क्षेत्रीय जनता में बड़ा रोष व्याप्त है। 24 मार्च, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 453 में माननीय विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी राज्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में इसे सही माना है। संबंधित मंत्रालय यह निदश दे कि वे उन पर पाबन्दी लगावें कि वे सोन नदी में विषाक्त जल न छोड़ें।

(ii) CONSTRUCTION OF A SECOND DAM NEAR GIRIBATA HYDROELECTRIC PROJECT IN HIMACHAL PRADESH.

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : हिमाचल प्रदेश में गिरिबाटा जल विद्युत योजना पूरी हुये काफी समय हो गया है परन्तु इसके साथ जो दूसरा बांध लगना था उसकी रूप रेखा पूर्ण होने के उपरांत भी अभी तक इस पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह स्थान जिला सिरमौर के रेनका तहसील के जटावन स्थान पर स्थित है। जहां से गिरिबाटा योजना शुरू हुई थी। हिमाचल राज्य की अपनी धन-राशि से बनी हुई जल विद्युत योजना में सबसे बड़ी योजना है। इसका विधिवत् शिलान्यास देश की प्रधान मंत्री जी ने किया था और यहां पर जो लोगों को विश्वास हिमाचल राज्य की ओर से दिलाया गया था, इस योजना के पूर्ण हो जाने पर जठावन में ही दूसरा एक बड़ा बांध लगाया जाएगा जिससे बिजली की क्षमता बढ़ेगी और लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। लेकिन अभी तक इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और न ही इसके लिये धन का प्रावधान किया गया है। लोगों में इस बात के लिये बहुत अत्यधिक निराशा है, इस योजना को जिसे कि पूरा करने का आश्वासन दिया गया था अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

मैं इस संबंध में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि जिला सिरमौर में यह जल विद्युत योजना क्रिया-न्वित कराने हेतु भारत सरकार की ओर से अधिक से अधिक धनराशि देकर इस योजना को सुचारु बनाने हेतु धन का प्रावधान करें।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी मांग करूंगा कि विद्युत योजना हेतु जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का बंटवारा हुआ है इसमें राज्य सरकार को 2.7% रयल्टी मिलती है जबकि उसके हिस्से में 7.19% होती है।

मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि बकाया धनराशि का भुगतान राज्य सरकार को कराया जाए और भविष्य में 7.19% रायल्टी की दर से प्रावधान कराया जाये ताकि हिमाचल सरकार की आर्थिक दशा सुदृढ़ हो सके।